

यूपी में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ सबसे ज़्यादा

चर्चा में क्यों?

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये [भारतीय रिज़र्व बैंक \(RBI\)](#) द्वारा हाल ही में जारी 'पंचायती राज संस्थानों का वित्त' शीर्षक से रिपोर्ट भारत में [पंचायती राज संस्थानों \(PRI\)](#) की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है।

मुख्य बटु:

- राज्य राजस्व हस्तिसेदारी और अंतर-राज्य असमानताएँ:
 - अपने-अपने राज्य के राजस्व में पंचायतों की हस्तिसेदारी न्यूनतम बनी हुई है।
 - उदाहरण के लिये, **आंध्र प्रदेश में, पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ** राज्य के स्वयं के राजस्व का **केवल 0.1% है**, जबकि **उत्तर प्रदेश में यह 2.5% है, जो राज्यों में सबसे अधिक है।**
 - प्रत्येक पंचायत अर्जति औसत राजस्व को लेकर राज्यों में व्यापक भिन्नताएँ हैं।
 - **केरल और पश्चिम बंगाल क्रमशः 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए** प्रत्येक पंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे हैं।
 - असम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, सिकिम् और तमिलनाडु में प्रत्येक पंचायत राजस्व 30 लाख रुपए से अधिक था।
 - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मजोरम, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों का **औसत राजस्व 6 लाख रुपए** प्रत्येक पंचायत से काफी कम है।
- **RBI की सफ़ारिशें:**
- RBI **अधिक वक़िद्रीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय नेताओं तथा अधिकारियों को सशक्त बनाने का सुझाव देता है।** यह पंचायती राज की वित्तीय स्वायत्तता और स्थिरता को बढ़ाने के उपायों का समर्थन करता है।

पंचायती राज संस्थान

- **73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और एक समान संरचना (PRI के तीन स्तर), **चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति** एवं महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण तथा **PRI को नधि, कार्यों व पदाधिकारियों का हस्तांतरण** किया।
 - **पंचायतें तीन स्तरों पर कार्य करती हैं:** ग्राम सभा (गाँव या छोटे गाँवों का समूह), पंचायत समितियाँ (ब्लॉक परषिद) और ज़िला परषिद (ज़िला)।
- **पंचायती राज मंत्रालय**, पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसे मई 2004 में बनाया गया था।
- **यूपी में पंचायतों की संख्या:** 59, 062
- **यूपी में ब्लॉकों की संख्या:** 826
- **यूपी में ज़िलों की संख्या:** 75